



रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—४

लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०—४१

(लाइसेन्सटू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेंट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—१, खण्ड(क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, १ अक्टूबर, १९८४
आश्विन ९, १९०६ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-१

संख्या २०३७/सब्रह-वि०-१-१(क)-२१-१९८४
लखनऊ १ अक्टूबर, १९८४

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद २०० के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९८४ पर दिनांक २९ सितम्बर, १९८४ ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९ सन् १९८४ के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १९८४

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९ सन् १९८४)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १९८४ कहा जायगा।

(२) यह ७ अगस्त, १९८४ को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 8 सन्
1952 की धारा
53 का संशोधन

निरसन और
अपवाद

2--उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 53 में, उपधारा (1) में शब्द "छः वर्ष" के स्थान पर शब्द "सात वर्ष" रख दिये जायेंगे।

3--(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तदनु रूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारमूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
बी० एल० लूम्बा,
सचिव।

No. 2037/XVII-V-1-1(Ka)-21-1984

Dated Lucknow, October 1, 1984.

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 349 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Shanshodhan) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 1984), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 29, 1984:

THE UTTAR PRADESH HOMOEOPATHIC MEDICINE (AMENDMENT) ACT, 1984

(U. P. Act No. 19 of 1984)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

to further amend the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Amendment) Act, 1984.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 7, 1984.

Amendment of section 53 of U. P. Act no. 8 of 1952.

2. In section 53 of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), for the words "six years" the words "seven years" shall be substituted.

Repeal and savings.

3. (1) The Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Amendment) Ordinance, 1984, is hereby repealed

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.